महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-8|2017/313/सैंतीस-2-2017-33(5)/84टी.सी.

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

1-निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

2- निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

3-मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद,
लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक- 03/03/2017 ~~फरवरी,~~ 2017

विषयः- ई-प्रोक्योरमेन्ट लागू किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-72/78-2-2008-44आई0टी0/2006, दिनांक-11.01.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशुपालन विभाग में क्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया को लागू किया जाता है ।

2- उ0प्र0 पशुपालन निदेशालय स्तर पर दिनांक-15.03.2017 के पश्चात एवं मण्डल/ जिला स्तर पर दिनांक-01.09.2017 के पश्चात सभी क्रय ई-प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से ही किये जायेगें। ई-प्रोक्योरमेन्ट की प्रक्रिया लागू करने हेतु विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन के साथ समन्वय स्थापित कर अविलम्ब सुनिश्चित किया जाय तथा इस हेतु क्रय समिति के 04 अधिकारियों का डिजिटल हस्ताक्षर तैयार करा लिया जाय।

3- विभाग में दवाओं/वैक्सीनों एवं अन्य सामग्रियों के क्रय के संबंध में ई-प्रोक्योरमेन्ट की प्रक्रिया का अपने-अपने क्षेत्र में अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद उत्तरदायी होगें।

4- निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग द्वारा इस हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जिसके द्वारा ई-प्रोक्योरमेन्ट के संबंध में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग से समन्वय स्थापित कर उक्त व्यवस्था लागू किये जाने में

सहयोग प्रदान किया जायेगा तथा इस हेतु समय-समय पर मानीटरिंग सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या- (1)/सैंतीस-2-2017 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
3- स्टाफ आफिसर एवं विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन, लि0 लखनऊ ।
5- पशुधन अनुभाग-1/3, उ0प्र0 शासन ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

निदेशालय, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, बादशाह बाग, लखनऊ–226007

पृ0सं0 3147/क0प्र0से0/कय नीति/ई–प्रो0/2016–17 दिनांक– 09.03.17

पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश में ई–प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किए जाने के सम्बन्ध में पशुधन अनुभाग--2, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 8/2017/313/सैंतीस 2–2017–33(5) /84टी.सी. दिनांक 03.03.2017 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, मंडल, उ0प्र0।
3. समस्त गायनाकालोजिस्ट, स्टरलिटी यूनिट, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
4. परि0निदे0/सयुंक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, बाबूगढ़, हापुड़/निब्लेट/ बाराबंकी /चकगंजरिया(रहमानखेड़ा)–लखनऊ/मंझरा–खीरी।
5. उप निदेशक, प्रक्षेत्र, महानगर, लखनऊ/समस्त क्षेत्र अधीक्षक/प्रबन्धक,राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, उ0प्र0।
6. परियोजना निदेशक, भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, नौगढ़–चन्दौली।
7. उप निदेशक, लघु पशु, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. समस्त सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी, मुख्यालय
9. संयुक्त निदेशक, रोग नियंत्रण(मुख्यालय)
10. संयुक्त निदेशक,कुक्कुट, मुख्यालय।
11. अपर निदेशक ग्रेड–1, गोधन विकास/नियोजन, मुख्यालय एवं अपर निदेशक ग्रेड–1, बी0पी0संस्थान।
12. वित्त नियंत्रक मुख्यालय।
13. निदेशक, प्रशासन एवं विकास के वैयक्तिक सहायक।
14. गार्ड फाईल।

(ए0एन0सिंह)
निदेशक, रोग नियन्त्रण एवं प्रक्षेत्र